हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जयवर्धन सिंह v/s फूलसिंह दर० 212 RTA 07/02/2025 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं० 1 ता 03 उपस्थित हैं। उभय पक्षकारान के वकील की अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण के दादा द्वारा रिहायशी मकान बना रखा है। जिसमें प्रार्थीगण निवास करते हैं। उक्त मकान में प्रार्थीगण के हिस्से कमरा रसोई आदि आये हुये हैं लेकिन अप्रार्थीगण मिलकर उक्त मकान को विक्रय करने व गिरवी रखने के प्रयास कर रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ता-फैसला मुकदमा संपुष्ट कर पाबन्द किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने [signature] सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने
की नीयत से प्रार्थनापत्र पेश किया है जो
चलने योग्य नहीं है। खारीज किया जावे।

मैंने उभय पक्षकारान के वकील
की बहस पर मनन किया।
पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात
का अध्ययन किया। विवादित आराजी
पर उभय पक्षकारान रिहायशी मकान
बनाकर उपयोग-उपभोग कर रहे हैं।
वकील अप्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा को संपुष्ट नहीं करने का
कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है
जबकि वकील प्रार्थी ने अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा को तफैसला मूलवाद
संपुष्ट किये जाने के तार्किक कारण
बताये है कि अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा निरन्तर जारी रहने पर
ही प्रार्थी आवासीय मकान को विवादित
आराजी पर बने मे रहवास कर
सकते है। व तथा अप्रार्थीगण भी
निरन्तर उनमे रहवास कर रहे है।

यह न्यायालय इस न्यायालय
द्वारा पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा दिनांक 06-12-2024
को तफैसला मूलवाद संपुष्ट किया

sd

सहायक कलक्टर (फास्ट)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाना न्यायोचित पाता हूँ।
अतः उक्त अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा को तारीख मूल
वाद संपुष्ट किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। बाद तकमील
संलग्न मूल वाद रहे।

आदेश आज दिनांक 07/02/25
को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)